न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस

अपील सं. 2019/00155 (155/2019) 223 आरटीएक्ट

1. कुलदीप सिह पुत्र दलबारासिंह जाति बावरी उम्र 20 वर्ष निवासी उबलीराठान तहसील व जिला हनुमानगढ
2. हरप्रीत कौर पुत्री दलबारासिंह उम्र 18 साल जाति बावरी निवासी डबलीराठान तहसील व जिला हनुमानगढ।

–अपीलाण्ट

–: बनाम :–

सुन्दर पुत्र भोलासिंह जाति बावरी निवासी डबलीराठान तहसील व जिला हनुमानगढ।

–रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 31.07.2019 द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ प्र. सं. 247/2018 बअनवानी कुलदीपसिह बनाम सुन्दर

श्री दलीप सारस्वत अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्रीमति शकुन्तला भाटीवाल अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांक –21.10.2019

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने सहायक कलक्टर के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। प्रार्थना–पत्र में गगनदीप सिंह ने उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष एक अर्जीदावा अन्तर्गत धारा 88 व 53 आरटीएक्ट में प्रस्तुत कर रखा है। रेस्पोडेण्ट के नाम दर्ज आराजी को जद्दीजायदाद होने का कथन करते हुए उसमें अपना हक हिस्सा होने का कथन किया एवं रेस्पोडेण्ट/अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष मांगा। विचारण न्यायायल ने प्रार्थना–पत्र खारिज किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत आराजी जद्दी जायदाद है जिसमें उसका जन्म से हक व हिस्सा है। प्रश्नगत कृषि भूमि के संबंध में घोषणा व विभाजन की कार्यवाही होना शेष है। समस्त कृषि भूमि में अभी तक प्रार्थीगण का हिस्सा तय नहीं हुआ है इसलिए प्रार्थीगण ने घोषणा व विभाजन के मूल दावा के साथ साथ स्थगन प्रार्थना–पत्र पेश किया था। लेकिन विचारण न्यायालय ने समस्त भूमि 2.869 है. के संबंध में रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश पारित करने की बजाय 0.360 है. कृषि भूमि के संबंध में ही स्थगन आदेश पारित किया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रेस्पोडेण्ट के अधिवक्ता ने दिनांक 22.07.2019 को अण्डरटेकिंग दी थी कि प्रार्थीगण द्वारा 0.360 है. का अनुतोष चाहा गया है कुल भूमि में 0.360 है. तक रहन बैय का स्थगन स्थाई करने से अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय व आदेश का मुख्य आधार यह अण्डरटेकिंग बनाया है जबकि इस अण्डरटेकिंग में यह गलत अंकित किया गया है कि प्रार्थीगण ने 0.360 है. का अनुतोष चाहा गया है। चूंकि कृषि भूमि अविभाजित है जिसमें प्रार्थीगण के हिस्से को मूल वाद में चाही गई घोषणा द्वारा तय किया जाना है लेकिन फिर भी मातहत अदालत ने विधि विरूद्ध तरीके अपीालधीन निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2018 (2) पेज 1370, आरआरडी 14.10.2019 पेज 642 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट ने प्रार्थीगण द्वारा 2.986 है. भूमि में से 0.360 है. का अनुतोष चाहा गया है इस कारण शेष भूमि पर प्रार्थी का कोई हक हिस्सा नहीं होने के कारण प्रार्थी शेष भूमि पर कोई स्थगन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपीलाण्ट/प्रार्थी ने अपने वाद में 0.360 है. का अनुतोष चाहा है उस हद तक रेस्पोडेण्ट को कोई आपत्ति नहीं थी। विचारण न्यायालय द्वारा उतना ही हिस्से पर स्थगन आदेश कन्फर्म किया गया है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय में संयुक्त खाता की जद्दी जद्दी जायदाद कृषि भूमि पर रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा चाही है। अपीलाण्ट/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 01.08.2018 को एकपक्षीय स्थगन आदेश जारी करते हुए कुल 3.492 है भूमि में से रेस्पोडेण्ट संख्या 1 सुन्दर सिंह के नाम दर्ज 2.869 है. कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की, रेस्पोडेण्ट/अप्रार्थी ने अधिनस्थ न्यायाल में उपस्थित आकर कथन किया कि प्रार्थीगण के द्वारा 0.360 है0 का अनुतोष चाहा गया है। कुल भूमि में से 0.360 है. तक रहन बैय का स्थगन स्थाई करने में अप्रार्थी को आपत्ति नहीं है। विचारण न्यायालय ने अपीलाण्ट 0.360 है. भूमि की हद तक अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला कन्फर्म कर दिया। रेस्पाडेण्ट सुन्दरसिह अपीलार्थीगण का दादा है। प्रश्नगत भूमि पैतृक भूमि है और पैतृक भूमि में सभी वारिसान का हक व हिस्सा है। प्रश्नगत आराजी में पक्षकारों के हक, हिस्सों, अधिकारों का निर्धारण मूल वाद में होना है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र में अपना हिस्सा 0.360 है. की भूमि में

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हिस्सा माना है। प्रथम दृष्टया उसके द्वारा चाहे गये 0.360 है. हिस्से तक अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी है। रेस्पोडेण्ट एक अभिलिखित खातेदार काश्तकार है एवं उसको अपीलाण्ट अपने हिस्से से अधिक भूमि पर रहन बैय आदि द्वारा पाबन्द करवाने का हकदार नहीं है। प्रार्थना–पत्र 212 आरटीएक्ट में अपीलाण्ट द्वारा वर्णितानुसार उसका 0.360 है0 हिस्से की हद तक स्थगन आदेश जारी किया जा चुका है, शेष भूमि के संबंध में प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू अपीलाण्ट के पक्ष में नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपलाण्ट खारिज की जाती है सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.07.2019 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सत्यमेव जयते

(आशाराम डूडी आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2019.11.27 11:29:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: